

## पूरवोत्तर परषिद के पुनरगठन को मली स्वीकृति

### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरवोत्तर परषिद के पुनरगठन को स्वीकृति दे दी है। पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूरवोत्तर परषिद के पुनरगठन में केंद्रीय गृहमंत्री को इस संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

### संगठन

- नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरवोत्तर परषिद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूरवोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
- इस संस्था में सभी आठ पूरवोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं।
- मंत्रिमंडल ने पूरवोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परषिद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

### महत्त्वपूर्ण बंदि

- NEC राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है।
- यह परषिद अंतर-राज्यीय वषियों पर वसितृत वचार-वमिर्श के लयि मंच प्रदान करेगी और भवषिय में अपनाये जाने वाले समान दृषटकिणों पर वचार भी करेगी।
- NEC अब मादक दरव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा वविदों जैसे अंतर-राज्यीय वषियों पर वचार-वमिर्श के लयि विभिन्न क्षेत्रीय परषिदों द्वारा कयि जा रहे कार्यों की नगिरानी करेगी।
- NEC के नए स्वरूप से यह पूरवोत्तर क्षेत्र के लयि कारगर संस्था बनेगी।
- परषिद समय-समय पर परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदिके लयि राज्यों के बीच समन्वय के लयि कारगर उपायों की सफिरशि करेगी।
- परषिद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

### पृषटभूमि:

- NEC की स्थापना पूरवोत्तर परषिद अधनियिम, 1971 के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना संतुलति और समन्वति विकास सुनशिचति करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने केलयि शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
- इसके सदस्य पूरवोत्तर भारत के आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणपुरि, मेघालय, मजोरम, नगालैण्ड, सकिक्मि और त्रपुरा हैं।
- इसका मुख्यालय शलॉनग में स्थति है और यह पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत आती है।
- 2002 के संशोधन के बाद NEC को पूरवोत्तर क्षेत्र के लयि क्षेत्रीय नयिोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और NEC इस क्षेत्र के लयि क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमकिता देगी।
- परषिद सकिक्मि के मामले में वशिष परियोजनाएँ और योजनाएँ बनाएगी।

### पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का दायतिव पूरवोत्तर क्षेत्र के विकास संबंधी परियोजनाओं के लयि योजना बनाने, उनका कर्यान्वयन और देख-रेख करना है।
- इसका दृषटकिण क्षेत्र के सामाजकि - आर्थकि विकास की गतिको बढ़ाना है ताकि इसे देश के अन्य भागों में हो रहे विकास के समान लाभ मलि सकें।

